न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 22 / 2025	2025 / 95	10.02.2025	09.07.2025

1– धर्मवीर पुत्र दयाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– हीरासिंह पुत्र दयाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2– सरकार जये तहसीलदार किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 26.04.2017 नामान्तकरण संख्या 2335 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री जर्नादन शमा –वकील अपीलान्ट
02. श्री सुनिल यादव –वकील रेस्पोडेन्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 2335 निर्णय दिनाक 26.04.2017 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, आराजी खसरा न0 461 / 1289 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजी में मिन अपीलान्ट का 1 / 2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट का 1 / 2 हिस्सा है। आराजी को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया गया है, जो संपरिवर्तन आदेश दिनाक 10.07.2001 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट ने अपने हिस्से की आराजी में रिहायशी मकानात बनाये हुऐ है। जिनमें परिवार सहित रिहायश की हुई है। आराजी में 1 / 2 हिस्से का नामान्तकरण मिन अपीलान्ट के हक में व 1 / 2 हिस्से का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के हक में दर्ज व तस्दीक किया जाना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कर्मचारीयान राजस्व पटवारी हल्का कानूगो व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से साज बाज होकर समस्त आराजी का नामान्तकरण अकेले के नाम दर्ज व तस्दीक कराकर राजस्व रिकार्ड में ताहाल में अंकन करा लिया गया है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर / साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत व पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रस्पोडेन्ट संख्या 1 को इस तथ्य की जानकारी बखूबी थी, की उक्त आराजी में मिन अपीलान्ट का 1 / 2 हिस्सा है, और मिन अपीलान्ट के रिहायशी मकानात बने हुऐ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी मिन

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

अपीलान्ट के हक मे शपथ–पत्र दिनाक 10.07.2001 को तहरीर व तकमील कर नोटेरी से तस्दीक कराया गया है। जिससे भी साबित है, कि आराजी में मिन अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है। अपीलाधीन आज्ञा के कायम रहने से मिन अपीलान्ट के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होते है। अपीलाधीन आज्ञा विधि एंव प्रकिया के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को बिना सुने/सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है, इस कारण से पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को नही हो सकी। इस कारण से समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी इसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ति नही है। दिनाक 15.08.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिन अपीलान्ट के कब्जे में बाधा पैदा की और आपत्ति करने पर मौखिक रूप से आलोच्य आज्ञा की जानकारी दी गयी। जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने दिनाक 16.08.2024 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो नकल दिनाक 16.08.2024 को तैयार होकर दिनाक 16.08.2024 को सांयकाल प्राप्त हुई दिनाक 17.08.2024 को नकल व कागजात पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये गये अपील पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.04.2017 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 15.08.2024 तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। जहॉ आलोच्य आदेश पीडित पक्ष को सुने बिना पारित किया गया हो वहा प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य हो जाता है। तथा मियाद का बिन्दू गोण हो जाता है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, तहत अदालत द्वारा दर्ज व निर्णित नामान्तरण में वर्णित आराजीयात के बाबत पक्षकारा के द्वारा एक आवेदन पत्र बाबत सहमति से बटवारा किये जाने हेतु दिनाक 26.12.2016 को पेश किया गया जिस पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर मौजूद है। पेश प्रार्थना पत्र की जॉच की जाकर विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिवत आदेश पारित किये गये है, जिसके आधार पर ही नामान्तकरण तहत अदालत के द्वारा दर्ज कर निर्णित किया गया है। उक्त नामान्तकरण में वर्णित आराजी का रकबा अब भी अपीलान्ट के हिस्से में 4 ऐयर अधिक दर्ज है, अर्थात रेस्पोडेन्ट के हिस्से में 4 ऐयर आराजी कम है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य अंकित कर अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है। अपीलान्ट ने अपील में कथन किया गया है, कि तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर/साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है। यह कथन सरासर गलत है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 26.12.2016 से है, क्योकि तहत अदालत के समक्ष आपसी सहमति बटवारा का आवेदन पेश किया गया है, जिसके आधार पर ही तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही की गयी है। अपील के सलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963/शपथ पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये है, वो सरासर गलत अंकित किये गये है। अपील अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर रेस्पोडेन्टन को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गयी है। अपील अपीलान्ट दफा 5 कानून मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 04.09.2024 को पेश की गयी है, जो 7 वर्ष, 4 माह, 3 दिन पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। हम पत्रावली का निस्तारण दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है। हम पत्रावली का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है।

अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 461/1289 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम बोलनी आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा है। आराजी को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

संख्या 1 ने आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया गया है, जो संपरिवर्तन आदेश दिनाक 10.07.2001 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पारित किया गया है। अपीलान्ट ने अपने हिस्से की आराजी में रिहायशी मकानात बनाये हुऐ है। जिनमें परिवार सहित रिहायश की हुई है। आराजी में 1/2 हिस्से का नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में व 1/2 हिस्से का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के हक में दर्ज व तस्दीक किया जाना चाहिए था। वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि नामान्तरण में वर्णित आराजीयात के बाबत पक्षकारा के द्वारा एक आवेदन पत्र बाबत आपसी सहमति से बटवारा किये जाने हेतु दिनाक 26.12.2016 को पेश किया गया जिस पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर मौजूद है। पेश प्रार्थना पत्र की जॉच की जाकर विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिवत आदेश पारित किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है, कि तहत अदालत के समक्ष दिनाक 26.12.2016 को पक्षकारान के द्वारा अपनी आराजी का बाबत विभाजन हेतु पेश किया गया है, जिस पर कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में विधिवत जॉच कर विधि सम्मत कार्यवाही की गयी है। अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण के विरूद्व अपील पेश की गयी है, न की विभाजन नामा के विरूद्व तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट सारहीर होने के कारण खारिज की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 26.04.21017 नामान्तकरण संख्या 2335 ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट खरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)